24/5/26 पत्रावली पारित आदेशार्थ पेश हुई। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली जैसल शुमार होकर नंबर लेकर दाखिल दफ्तर हो।

खण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

न्यायालय उपजिला कलेक्टर, करौली

ता0 रजू:- 26-12-2025
मु0नं0:- 20/25

निर्णय दिनांकः- 14.5.26

1. विद्या देवी पुत्री मूला पत्नी चतुर्भुज उम्र 60 साल जाति बढ़ई निवासी कैलादेवी हाल निवासी आड़ाडूंगर तहसील सपोटरा जिला करौली(राज0)
2. सरूपी पुत्री मूला पत्नी अशोक उम्र 56 साल जाति बढ़ई निवासी कैलादेवी हाल निवासी गौमती कॉलोनी करौली।

–अपीलांट्स–

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र मूला उम्र 64 साल जाति बढ़ई निवासी कैलादेवी तहसील व जिला करौली।
2. विमला पुत्री मूला पत्नी गिर्राज उम्र 62 साल निवासी कैलादेवी हाल निवासी आड़ाडूंगर तहसील सपोटरा जिला करौली।
3. ग्राम पंचायत लौहर्रा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत लौहर्रा तहसील व जिला करौली।
4. ओमप्रकाश पुत्र हरिचरण जाति मीना निवासी लौहर्रा तहसील व जिला करौली।

–रेस्पोन्डेन्ट्स–

निर्णय अपील नामान्तकरण संख्या 666 ग्राम लौहर्रा

अधिवक्ता अपीलान्ट्स

1. विष्णु चंद गुप्ता एड0
   अधिवक्ता रेस्पो0 नं0–4
   एड0 गजानंद शर्मा

1. प्रार्थना पत्र के संबंध में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि नामान्तकरण सं0–666 ग्राम लौहर्रा ग्रा0पं0 लौहर्रा तह0 व जिला करौली निर्णय दिनांक 12.10.1977 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट्स के द्वारा अपील में यह आधार लिया कि अपीलान्ट्स मूला की पैदायशी पुत्रीयां हैं और मृतक मूला के विधिक वारिस हैं एवं अपने पिता की कब्जे काश्त की भूमि में उनका भी 1/4, 1/4 हिस्सा है एवं निर्णय दिनांक 12.10.1977 बाबत् नामान्तकरण सं0–666 ग्राम लौहर्रा तह0 करौली को हमें सुनवाई का अवसर नहीं दिया ना ही कोई नोटिस दिया एवं पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण दर्ज करते समय कोई सजरा प्रस्तुत नहीं किया सजरा नहीं दिया गया व साजपूर्वक ओमप्रकाश पुत्र मूला के हक में नामान्तकरण दर्ज कर दिया और पुत्रीयों का नाम जानबूझकर छिपाया गया एवं रेस्पोन्डेन्ट नं0–1 के हक में नामान्तकरण दर्ज कर खातेदारी दर्ज की गई व रेस्पोन्डेन्ट न0–1 इस भूमि को दीगर व्यक्तियों को विक्रय करने व खुद–बुर्द करने पर तुला हुआ है। इसलिये यह अपील प्रस्तुत की गई एवं नामान्तकरण दिनांक 12.10.1977 से दिनांक 22.12.2025 तक नामान्तकरण की जानकारी नहीं होने के कारण अपील अन्दर म्याद समाहित किया जाना दर्ज किया व धारा–5 म्याद अधि0 का प्रार्थना–पत्र भी अलग से प्रस्तुत किया। रेस्पो0 नं0–1ता 3 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलांट सं0– 4 ओमप्रकाश पुत्र हरिचरण मीना निवासी लौहर्रा द्वारा जरिये रेस्पोन्डेन्ट बनाये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया गया व रेस्पोडेन्ट सं0–4 के रूप में पक्षकार बनाया गया।
2. रेस्पोन्डेन्ट नं0 1 व तीन की ओर से अपील नामान्तकरण का व धारा–5 म्याद अधि0 के प्रार्थना–पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया ना ही कोई विरोध किया गया एवं रेस्पोन्डेन्ट सं–4 के द्वारा धारा–5 म्याद अधि0 के प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत किया व अपील का भी जवाब प्रस्तुत किया और रेस्पोन्डेन्ट नं0–4 ने अपने जवाब में यह लिखा कि नामान्तकरण 48 साल पुराना है। 48 साल से इस नामान्तकरण में विवादित भूमि पर रेस्पोन्डेन्ट नं0–1 व 2 का कब्जा रहा है और ये ही लगान अदा करते चले आ रहे हैं एवं ये ही फसल काश्त करते चले आ रहे हैं। दोनों अपीलांट इस बीच में अनेकों बार अपने पीहर अपीलांट के पास आती–जाती रही है और नामान्तकरण सं0–666 ग्रा0 लौहर्रा के बाबत् इनको दिनांक 02.10.1977 से ही भली प्रकार जानकारी है और अपील म्याद बाहर है। नामान्तकरण सही है और नामान्तकरण तस्दीक करते समय ग्रा0पं0 द्वारा अपनी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते हुए जो कार्य किया गया है जिसकी सही होने की उपधारणा की जावेगी एवं नामान्तकरण पर्याप्त जांच के बाद नियमानुसार खोला गया है और 12.10.1977 को हिन्दू विधि के अनुसार रेस्पो0 नं0 1 व 2 ही मूला के विधिक वारिस थे। अपीलांट्स के इसमें कोई हक किसी प्रकार के नहीं हैं व दोनों अपीलांट विवाहित जिनको उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं है एवं नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है। सन् 1977 में जो वारिस थे उनके ही नाम नामान्तकरण किये गए है जो विधिक वारिस नहीं थे। उनका नाम दिया जाना आवश्यक नहीं है। अपीलांट्स को अपने पति की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त है एवं अपीलांट्स पर्याप्त जानकारी के बाद भी 48 साल तक साइलेंट व उदासीन रही ऐसी स्थिति में न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त करने का भी अधिकारी नहीं है व इनका विवादित जायदाद पर कभी कोई कब्जा भी नहीं रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

3. यह है रेस्पो0 नं0–4 ने अपने जवाब के विशेष विवरण में यह लिखा है कि ख0नं0 2812/4 वाले ग्राम लौहर्रा में ओमप्रकाश पुत्र मूला ने अपने 1/2 हिस्सा को दिनांक 03.03.2025 का पंजीयन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मुझ रेस्पो0 नं0–4 को विक्रय कर दिया और नामान्तकरण सं0 1367 दिनांक 24.12.2025 का मुझ रेस्पो0 के हक में खातेदारी दर्ज कर दी गई एवं यह अपील अपीलांट्स ने अपने भाई रेस्पो0 नं0 4 की अपनी खरीदी हुई भूमि नियंत्रित करने के लिये कोल्यूजन करके गलत अपील प्रस्तुत की है एवं रेस्पो0 नं0–4 ने अपने जवाब में यह भी लिखा है कि रेस्पो0 नं0–1 ने इस भूमि की कीमत बढ़ जाने से मुझे अपने अधिकारों से वंचित करने के लिये न्यायालय ए.सी.एम. करौली में भी फर्जी इकरारनामा के आधार पर उनवानी पप्पू बनाम ओमप्रकाश प्रस्तुत किया जो न्यायालय ए.सी.एम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया व विष्णु वगै. बनाम ओमप्रकाश के नाम से एक दावा न्यायालय ए.स.एम में अपने संयुक्त परिवार की सदस्य पुत्र व पुत्रीयों से कोल्यूजन मुझ रेस्पो0 नं0–4 को अपनी खरीदशुदा भूमि से वंचित करवाने के लिये किया और इसी कम में अपनी बहनों से साज करके यह कोल्यूजिव अपील प्रस्तुत करवाई गई है। उपरोक्त दावे में न्यायालय ए.सी.एम में कोल्यूजिव तरीके से आदेश प्राप्त करने के इरादे से मुझ रेस्पो0 नं0–4 को पक्षकार नहीं बनाया गया। मेरे द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर पप्पू बनाम ओमप्रकाश में प्रतिवादी के साथ में पक्षकार बनाया गया एवं इन प्रकरणों में भी रेस्पो0 नं0– 1 ने इन दावों का कोई विरोध नहीं किया। रेस्पो0 नं0– 4 बोनाफाईड परचैजर है और विवादित भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार है व इस अपील के निर्णय का मुझ रेस्पो0 नं0–4 के अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा व अपीलांट न्यायालय में दावा कर अपने अधिकारों की घोषणा करवा सकते हैं। अपील में स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

4. यह है कि उभयपक्ष बहस सुनी गई और पत्रावली में मौजूद दस्तावेज व कानून का अवलोकन किया व इसमें प्रस्तुत तथ्यों का विवेचन इस प्रकार दिनांक 12.10.1977 को हिन्दू विधि के अनुसार विवाहित पुत्रीयों का पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं होता था। हिन्दू उत्तराधिकारी अधि0 1956 में संशोधित अधि0 2005 के द्वारा विवाहित पुत्रियों को अधिकार दिये गए। धारा–6 हिन्दू उत्ताधिकार अधि0 के प्रावधान में यह लिखा हुआ है कि यह संशोधन रेस्ट्रोस्पेक्टिव(भूतलक्षी) नहीं है एवं दिनांक 20.12.2004 से पहले जिन विवाहित पुत्रियों के पिताओं की मृत्यु हो गई उन पर यह प्रावधान लागू नहीं होते। दिनांक 12.10.1977 को ग्रा.पं. लौहर्रा द्वारा न्यायालय की हैसीयत से कार्य करते हुए नामान्तकरण आदेश पारित किया गया और वह आदेश इस संशोधन अधिनियम से प्रभावित नहीं है एवं मेरे द्वारा नामान्तकरण पंजिका का अवलोकर किया जिसमें पटवारी द्वारा वारिसों के हक में नामान्तकरण दर्ज किया गया। गिरदावर मूलचंद द्वारा तुलना की गई व राजस्व अभियान में विधि अनुसार नामान्तकरण दर्ज किया गया जिसमें किसी भी विधिक प्रकिया का उल्लंघन नहीं किया गया व विधि के अनुसार नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है यह भी विधि का सुनिश्चित सिद्धांत है कि किसी भी बोनाफाईड परचैजर को उसके रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र को नामान्तकरण की अपील में चैलेंज नहीं किया जा सकता। विक्रय पत्र की कानूनी वैधता, सिविल न्यायलय द्वारा तय की जाती है। इस नामान्तकरण की अपील में खरीदार के अधिकारों को विधि अनुसार प्रभावित नहीं किया जा सकता एवं अपीलांट्स के कोई अधिकार हो तो उनके लिये सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर उनकी घोषणा कराने के लिए अपीलांट्स स्वतंत्र है व 48 साल के लम्बे समय अपीलांट्स का नामान्तरण नं0–666 बाबत् साइलेंट रहना संदेहास्पद परिस्थितियों को पैदा करता है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट्स दुर्भावनापूर्वक रेस्पो0 नं0 4 के अधिकारों को प्रभावित करने के लिये यह कोल्यूजिव अपील लेकर आये हैं जो निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः अपील अपीलांट्स निरस्त की जाती है। दोनों पक्षकार खर्चा अपना– अपना वहन करें। यह आदेश दिनांक 14/05/26. को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी
करौली